पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–06 / 2022 सो०...206

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–29/01/2024

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई० टी० प्रबंधक, आई० टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आई० टी० प्रबंधक, आई० टी० सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण / पुनर्निधारण दिनांक–10.10.2018 तथा दिनांक–15.02.2019 की शासी परिषद की 21वीं एवं 22वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक–01.07.2018 के प्रभाव से किया गया था। कालक्रम में आई० टी० प्रबंधक वर्ग–2 में उत्क्रमण तथा आई० टी० सहायक वर्ग–2 (विशेष भत्ता का लाभ) का निर्धारण किया गया था ।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद् की दिनांक–12.12.2023 की 34वीं बैठक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई० टी० प्रबंधक, आई० टी० सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय निर्धारण / पुनर्निधारण की आवश्यकता पर विचार विमर्श कर सम्यक विचारोपरांत इनके मानदेय का निर्धारण / पुनर्निधारण निम्नवत करने का निर्णय लिया गया है–

कार्यपालक सहायक वर्ग–1

क्रं सं	विवरणी	राशि रुपये में
1.	मूल मानदेय	**15295.00**
2.	अन्य भत्ता	**6554.00**
3.	हार्डवेयर भत्ता	**1200.00**
4.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 13 %	**1951.00**
5.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4)	**25000.00**
6.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 12 %	**1800.00**
7.	नगद प्राप्त राशि (1+2+3-6)	**21249.00**

कार्यपालक सहायक वर्ग–2

क्रं सं	विवरणी	राशि रुपये में
1.	मूल मानदेय	**16835.00**
2.	अन्य भत्ता	**7214.00**
3.	हार्डवेयर भत्ता	**1200.00**
4.	विशेष भत्ता	**2800.00**
5.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 13 %	**1951.00**
6.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4+5)	**30000.00**
7.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 12 %	**1800.00**
8.	नगद प्राप्त राशि (1+2+3+4-7)	**26249.00**

395D:\Office\Office Work\AO-3.docx

आई० टी० सहायक

क्रं सं	विवरणी	राशि रुपये में
1.	मूल मानदेय	24535.00
2.	अन्य भत्ता	10514.00
3.	विशेष भत्ता	3000.00
4.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 13 %	1951.00
5.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4)	40000.00
6.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 12 %	1800.00
7.	नगद प्राप्त राशि (1+2+3-6)	36249.00

आई० टी० प्रबंधक वर्ग–1

क्रं सं	विवरणी	राशि रुपये में
1.	मूल मानदेय	40635.00
2.	अन्य भत्ता	17414.00
3.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 13 %	1951.00
4.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3)	60000.00
5.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 12 %	1800.00
6.	नगद प्राप्त राशि (1+2-5)	56249.00

आई० टी० प्रबंधक वर्ग–2

क्रं सं	विवरणी	राशि रुपये में
1.	मूल मानदेय	53235.00
2.	अन्य भत्ता	22814.00
3.	EPF अंशदान (नियोक्ता) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 13 %	1951.00
4.	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3+7*)	78000.00/83000.00*
5.	EPF अंशदान (कर्मी) – अधिकतम मूल मानदेय 15000 रुपये तक का 12 %	1800.00
6.	नगद प्राप्त राशि (1+2+7*-5)	74249.00/79249.00*
7.	विशेष भत्ता*	5000.00

मात्र उन आई० टी० प्रबंधक को देय होगा जिनके द्वारा आई0 टी0 प्रबंधक के पद (वर्ग–1 तथा वर्ग–2 की कार्यरत अवधि जोड़कर) पर सफल तरीके से दस साल की सेवा पूर्ण कर ली गयी है।

1. यह मानदेय दिनांक–01.01.2024 के प्रभाव से लागू होगा।

2. **दिनांक– 01.01.2024 से सफल तरीके से 01 वर्ष की नियोजन अवधि पूर्ण करने पर मानदेय में वार्षिक वृद्धि दी जायेगी। वार्षिक वृद्धि का दर प्राप्त हो रहे मूल मानदेय एवं अन्य भत्ता पर 05 प्रतिशत होगा।**

3. वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वर्ष सफल तरीके से पूर्ण की गयी अवधि के उपरांत पड़ने वाले 01ली जनवरी/01ली जुलाई को प्रभावी होगा।

4. कार्यपालक सहायक वर्ग–1 से कार्यपालक सहायक वर्ग–2 में जाने के लिये पूर्व के अनुसार पाँच वर्ष की कार्यपालक सहायक वर्ग–1 में सफल तरीके से नियोजन पूर्ण करना आवश्यक होगा तथा यह उत्क्रमण सफल तरीके से पूर्ण की गयी अवधि के उपरांत पड़ने वाले 01ली जनवरी/01ली जुलाई को प्रभावी होगा।

5. आई० टी० सहायक के सभी कर्मी वर्तमान में वर्ग–2 का लाभ प्राप्त कर रहे है । अतः इनके मामले में दो वर्गो का अलग–अलग निर्धारण के स्थान पर मात्र एक वर्ग आई० टी० सहायक निर्धारण किया जाता है। सभी को इसी वर्ग में निर्धारित मानदेय प्राप्त होगा।

6. आई० टी० प्रबंधक वर्ग–1 से आई० टी० प्रबंधक वर्ग–2 में जाने के लिये पूर्व के अनुसार पॉच वर्ष की आई० टी० प्रबंधक वर्ग–1 में सफल तरीके से नियोजन पूर्ण करना आवश्यक होगा तथा यह उत्क्रमण सफल तरीके से पूर्ण की गयी अवधि के उपरांत पड़ने वाले 01ली जनवरी/01ली जुलाई को प्रभावी होगा।

7. आई० टी० प्रबंधक वर्ग–2 में कार्यरत आई० टी० प्रबंधक जिनके द्वारा 10 वर्ष से अधिक नियोजन अवधि (वर्ग–1 तथा वर्ग–2 की कार्यरत अवधि जोड़कर) सफल तरीके से पूर्ण कर चुके हैं, को 5000 (पाँच हजार) रूपये प्रतिमाह का अतिरिक्त विशेष भत्ता देय होगा।

8. इन मानदेय विवरणियों में सम्मिलित राशियों/परिलब्धियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की मानदेय से संबंधित राशि/भत्ता देय नहीं होगा।

9. कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों के आलोक में नियोक्ता तथा कर्मी के अंशदान की गणना की जायेगी। उक्त क्रम में पूर्व की भांति 15000 रूपये मानदेय की अधिसीमा के आलोक में कटौतियाँ की जायेंगी।

10. मानदेय के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/पत्र/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन

29.1.24

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– **बि०प्र०सु०मि०सो०/स्था०–06/2022 सो० 206, दिनांक 29/01/2024**

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी कार्यालय प्रधान/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

29.1.24

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– **बि०प्र०सु०मि०सो०/स्था०–06/2022 सो० 206, दिनांक 29/01/2024**

प्रतिलिपिः– वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

29.1.24

विशेष कार्य पदाधिकारी